खुद अपाहिज है अस्पताल : कैसे ठीक कर सकते हैं मरीज़ों का हाल

आखिर मुक्त हो ही गया ईएसआई अस्पताल

हरियाणा सरकार के ढुल-मुल रवैये तथा कुछ स्वार्थी, भ्रष्ट एवं जनविरोधी अफ़सरों के न चाहते हुए तथा तमाम अडंगेबाज़ी के बावजूद दिनांक 13 सितम्बर, शुक्रबार को 7 बजे शाम को राज्य सरकार ने इस अस्पताल को अपने चंगुल से मुक्त करके ईएसआई मेडिकल कॉलेज को सौंपने के आदेश जारी कर दिये। इसे विधिवत हस्तांतरण करने हेतु एक विशेष कमेटी 16 तरीख, सोमवार को यहां आकर आवश्यक औपचारिकता पूरी करेगी।

यह कार्य कोई सरलतापूर्वक नहीं हो पाया है। विशवस्त सूत्रों के अनुसार ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर दास, जो डेढ साल से यहां झक मार रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से 11 तारीख को चंडीगढ गये। क्योंकि गत दो वर्षों से चल रही खतोकिलब से काम नहीं हो पा रहा था। वर्ष 2014 के लिये मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिये 30 सितम्बर से पहले एमसी आई (मेडिकल काऊंसिल ऑफ़ इंडिया) में आवेदन करना जरूरी है। इसके लिये पहली शर्त 300 बिस्तर का अस्पताल होना जरूरी है, उसके बाद अन्य औपचारिकतायें भी पूरी करनी होती हैं। यदि यह तारीख निकल जाती तो बात गयी थी फ़िर 2015 पर।

श्रम सचिव पी के गुप्ता ने इस पूरे मामले की नज़ाकत एवं आवश्यकता को समझते हुए अपने मातहत स्टाफ़ की मुशकें खींच कर सम्बन्धित काग़जात तैयार करवा दिये। लेकिन निदेशालय में बैठे अधिकारी व कर्मचारी नहीं चाहते थे कि साल भर में 15-20 लाख का कमीशन देने वाला यह अस्पताल उनके चंगुल से मुक्त हो जाए।

लिहाजा उन्होंने इस फ़ाइल को वित्त विभाग को भिजवा कर वहां से लिखवा दिया कि यह हस्तांतरण मंत्रीमंडल की स्वीकृति के बाद किया जाय। यानी कि गयी भैंस पानी में। वित्त विभाग का इससे कोई लेना-देना न होते हुए भी केवल निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु यह अड़ंगा लगाया गया था। श्रम मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को कह कर यह अड़ंगा दूर कराया गया। ये सारे काम होते-होते 13 तारीख की शाम हो गयी। जब शाम को यह फ़ाईल स्वास्थ्य निदेशालय पहुंची तो वहां हाहाकार मच गया। एक महिला असिस्टेंट तो आंसु बहा कर ऐसे रोने लगी जैसे किसी की मौत हो गयी हो। न चाहते हुए, बड़े अनमने मन से निदेशक डॉक्टर सूरी ने काफ़ी रो-पीटकर आदेश-पत्र तैयार करके डॉ. दास को धमाया जिसे लेकर वे शुक्रवार को प्रात: 2 बजे फ़रीदाबाद पहुंच पाये।

16 तारीख को कार्यवाही पूरी होने के पश्चात एक ओर तो बड़ी मात्रा में स्टाफ़ भर्ती शुरू की जायेगी तथा दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज विश्व-विद्यालय रोहतक से मंजूरी ली जायेगी। खबर लिखते-लिखते पता चला है कि उक्त पहली कार्यवाही भी पूरी हो चुकी है तथा आगामी 2 दिनों में रोहतक वाली भी पूरी होने का पक्का आश्वासन मिल चुका है।

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर की 20 लाख से अधिक आबादी के लिये 3 मुख्य सरकारी अस्पताल हैं। इनमें से एक बादशाहखान को चलाने का सारा खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि शेष दो अस्पतालों को चलाने का दायित्व तो राज्य सरकार का है, लेकिन इनके कुल खर्च का 88 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार के उपक्रम ईएसआई निगम द्वारा वहन किया जाता है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने इन दोनों अस्पतालों को पूरी तरह से अपाहिज बना रखा है। 150 डॉक्टरों की जगह मात्र 20 डॉक्टर रखे हैं। डॉक्टरों की यह संख्या शुरू से ही इतनी नहीं थी, यह तो सेवानिवृति अथवा अन्य कारणों से नौकरी छोड़ जाने की वजह से 100 से घट कर 20 हुई है।

डाक्टरों के अलावा जो अन्य स्टाफ़ जैसे नर्सें, प्रयोगशाला-कर्मी, रेड़ियोग्राफ़र क्लर्क, सफ़ाईकर्मी इत्यादि जो कम से कम 700 होने चाहिये, मात्र 100 के करीब रह गये हैं। यही हाल बल्कि इससे भी बद्तर हालत व इन अस्पतालों से जुड़ी डिस्पेंसरियों का है। वहां भी डॉक्टरों व स्टाफ़ की भारी कमी है। हरियाणा सरकार की इस काहिली के चलते ज़िले के करीब 4 लाख श्रमिक अपने वेतन का साढे 6 प्रतिशत ईएसआई को देने के बावजूद छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इलाज बाहर से करवाने को मज़बूर हैं। मासिक 15000 रुपया वेतन पाने वाला मज़दूर 975 रुपया वार्षिक ईएसआई में देने के बावजूद इलाज के लिये प्राइवेट अस्पतालों में भारी खर्चा करने को मजबूर है।

इसी पखवाड़े एस्कार्ट के गौरव नामक एक श्रमिक जिसका ईएसआई नम्बर 1320290048 है, ने बताया कि रात को उसके पेट में सख्त दर्द हो गया तो वह अपने निकट ईएसआई अस्पताल सेक्टर आठ में गया। वहां न तो कोई डॉक्टर था न अन्य कोई इलाज करने वाला। वहां मौजूद एक कर्मचारी ने कहा कि इन्तजार करो तो वह डॉक्टर को फ़ोन करके बुला सकता है। अब जिसको तकलीफ़ हो रही हो तो वह डॉक्टर का इन्तजार और वह भी अनिश्चितकाल के लिये कैसे कर सकता है ? लिहाजा वह एक अन्य डॉक्टर के घर पर गया। 150 रुपए फ़ीस के दिये, उन्होंने एक इन्जेक्शन लगाया तो राहत मिली। मजे की बात यह है कि ये डॉक्टर साहब भी वैसे तो सरकारी हैं, परन्तु रात-बिरात गौरव जैसों की सेवा कर देते हैं।

अगले दिन गौरव पुन: सेक्टर 8 के उसी ईएसआई अस्पताल में गया तो डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड व कुछ अन्य टेस्ट कराने को लिख दिया। इन टैस्टों को करने का जो प्रबन्ध इस अस्पताल में है, उसके भरोसे तो मरीज बेमौत मर सकता है। अल्ट्रासाऊंड तो यहां है ही नहीं और प्रयोगशाला में न तो पर्याप्त कर्मचारी हैं और नही साजो-सामान। इन हालात में गौरव को 1700 रुपया खर्च करके सारे टैस्ट बाहर से करवाने पड़े, जिनसे पता चला कि गुर्दे में पथरी है। इसके लिये शल्य-चिकित्सा करने वाला यहां मात्र एक ही डॉक्टर है, जबकि गौरव जैसे सैंकड़ों मरीज़ यहां चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में यदि इलाज कराना है तो वह भी प्राइवेट डॉक्टर से ही कराना पड़ेगा। निष्कर्ष यह निकला कि वेतन का अंशदान तो ईएसआई को दो और इलाज के लिये अलग से पैसा प्राइवेट अस्पतालों को दो। यह मामला कोई अपवाद नहीं बल्कि अधिकांश मरीज तो गौरव की तरह ईएसआई में धक्के खाने की बजाय सीधे-सीधे प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, आखिर जान है तो जहान है।

ज़िले में 4 लाख ईएसआई सदस्य होने का अर्थ है 4 लाख परिवार। एक परिवार की औसत सदस्य संख्या 4 के हिसाब से 16 लाख बनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 20 लाख की कुल आबादी में से 16 लाख को चिकित्सा सुविधा देने का ज़िम्मा ईएसआई का है। लेकिन यह ज़िम्मा हरियाणा सरकार जबरदस्ती हथियाये हुए है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवायें राज्य की सूची में है। कुल मिलाकर राज्य सरकार न तो खुद जनता को ये सेवायें दे पा रही है, न ईएसआई को देने दे रही है।

ईएसआई द्वारा बनाये गये मेडिकल कॉलेज के लिये अस्पताल की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकार अपने 3 नम्बर वाले अस्पताल को छोड़ने को तैयार नहीं। देर सबेर छोड़ना तो पड़ेगा, यह तय है, परन्तु सरकार चलाने वाले मन्त्री शिवचरण लाल शर्मा व सम्बन्धित अफ़सर सोचते हैं कि जितने दिन अपने कब्ज़े में रख लिया जाय उतना ही सही। इसका कारण अस्पताल के लिये 5 करोड़ की होने वाली खरीद पर मिलने वाला 5-10 लाख रुपए का कमीशन है। इसके अलावा अस्पताल से जो छोटी-मोटी उगाहियां होती हैं, वे अलग से।

मंत्री शिवचरण को उन 35 कर्मचारियों की भी चिन्ता है जो इनकी मेहरबानी से अस्थाई रूप से लगे हैं। वे बार-बार ईएसआई से पूछते हैं कि उनका क्या होगा ? ईएसआई वाले साफ़ कह देते हैं कि वही होगा जो हरियाणा सरकार के साथ अस्पताल कर्मचारियों को लेकर हुए समझौते में लिखा है। मन्त्री की अक्ल पर तरस भी आता है। उन्हें ज़िले के 4 लाख मज़दूर परिवारों की अपेक्षा अपने 35 चमचों की चिन्ता ज़्यादा है। देखा जाये तो उन्होंने इन 35 के लिये भी कुछ खास नहीं किया। यदि मन्त्री जी के पल्ले कुछ होता तो, मात्र ये 35 ही नहीं, 600-700 लोग़ों को स्थाई रूप से भर्ती करा सकते थे। उससे अस्पताल भी सही चलता, मरीज़ों का इलाज ढंग से होता और लोग़ों को रोज़गार भी मिलता। अब यही सारे काम ईएसआई प्रशासन करेगा, लेकिन उसमें मन्त्री जी को कोई नहीं पूछेगा। मजे की बात यह है कि जिस दिन इस अस्पताल को ईएसआई अपने नियन्त्रण में ले लेगी, उस दिन यही नेतागण इसके लिये 'उद्घाटन' समारोह का पाखंड रचकर लम्बी-चौड़ी भाषणबाज़ी करने से भी नहीं चूकेंगे।

वैसे ईएसआई निगम वाले भी कोई ज़्यादा भले नहीं हैं, उन्हें भी अपना पेट काट-काट कर अंशदान देने वाले ग़रीब मज़दूरों से कोई सरोकार नहीं है। उनका सरोकार तो केवल मज़दूरों से वसूले जाने वाले अंशदान से अपना खजाना भरने तक ही है। इसकी बदौलत आज ईएसआई के खजाने में 30 हज़ार करोड़ से अधिक रुपये जमा हैं। यदि ईएसआई वालों की नीयत ठीक होती तो वे मेडिकल कॉलेज की इमारत पर 700 करोड़ रुपया खर्च करने से पहले इस अस्पताल को अपने कब्ज़े में लेते, एक-दो विषय की स्नात्कोत्तर कक्षायें शुरू कर सकते थे। पूर्व केन्द्रीय श्रम मन्त्री खड़गे ने अपने चुनाव क्षेत्र गुलबर्गा (कर्नाटक) में मेडिकल कॉलेज चालू कराने से पूर्व वहां के ज़िला अस्पताल को राज्य सरकार से कुछ समय के लिये अधिग्रहीत कर लिया था। इसके चलते आज वहां डॉक्टरी शिक्षा के द्वितीय वर्ष के छात्र पढाई कर रहे हैं और मरीज़ों को बेहतर सुविधायें प्राप्त हैं। परन्तु यहां के सांसदों, विधायकों एवं मन्त्रियों को तो केवल नारियल फोड़ने व लफ़्फ़ाज़ी करने से ही फ़ुर्सत नहीं। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे तीसरे सरकारी बादशाहखान अस्पताल की हालत कोई बहुत बढिया नहीं है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किये जाने के बावजूद यह अस्पताल केवल कमीशनखोरी का अड्डा बन कर रह गया है। अल्ट्रासाउंड मशीन तो लगी है, परन्तु उस पर काम करने वाला कोई रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर यहां नहीं है। इस काम के लिये यहां बंटाई पर एक डॉक्टर को रखा गया है। ये डॉक्टर साहब दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक यहां आते हैं। अस्पताल प्रति मरीज़ 100 रुपया वसूलता है बाकायदा कार्ड बनाकर। इसमें से आधे यानी 50 रुपया से बाहर से आने वाले डॉक्टर को दिये जाते हैं। मात्र एक घंटे होनेवाले इस काम के लिये मरीज़ों की काफ़ी मारा-मारी होना स्वाभाविक है। वे सुबह से लाइन में लगे रहते हैं। न कोई बैठने की व्यवस्था है न कोई अन्य सुविधा। ऐसे सरकारी फ़ीस के अलावा कर्मचारियों द्वारा सुविधाशुल्क वसूलना आम बात है।

इस तरह के माहौल में शीघ्र अल्ट्रा साऊंड कराने वाले सैंकड़ों मरीज़ों को प्राइवेट सेंटरों पर भेजे जाते हैं। यहां की फ़ीस 600 से लेकर 800 रुपया तक हो सकती है। इसमें से अल्ट्रासाऊंड करने वाले डाक्टर के पल्ले तो आधे से भी कम ही पड़ते हैं, शेष रैफ़र करने वाले डॉक्टर तथा पीएमओ वसीएमओ के खाते में प्रतिदिन शाम को पहुंच जाते हैं। खून व मल-मूत्र आदि टैस्ट करने वाली प्रयोगशाला का हाल तो इससे भी बुरा है। इनके द्वारा दिये जाने वाले टैस्ट के परिणाम कभी भी भरोसेमंद नहीं होते। इसलिये इनका सारा काम भी बाहर की प्राइवेट प्रयोगशालाओं में ही होता है, जहां से नियमित कमीशन अस्पताल वालों को मिलता रहता है।

इस सारे भ्रष्टाचार एवं लूट के लिये ऊपरी तौर पर बेशक अस्पताल का स्टाफ़ नज़र आता है, लेकिन वास्तव में दोषी सरकार चलाने वाले सांसद, विधायक व मन्त्री हैं। जो कुछ भी हो रहा है, सब उनके आशीर्वाद एवं संरक्षण में हो रहा है।

बी के अस्पताल का लुटेरा पी एम ओ हटा

फ़रीदाबाद (म.मो.) शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन पी एम ओ मेहता के कुकर्मों व भ्रष्टाचार को लेकर उसके विरुद्ध शिकायतें न होती हों, अखबारों में खबरें न छपती हों। जवाब में सरकार की ओर से जांच कराने का आश्वासन देकर उसे लूटने के लिये छोड़ दिया जाता था। लेकिन दिनांक 14 सितम्बर की प्रात: यकायक उसे कार्यमुक्त करने का आदेश यहां पहुंच गया जिस पर तुरंत अमल भी हो गया।

पूरी तरह से निर्भय होकर लूटमार करने वाले इस डॉक्टर पर एक पुराना आरोप यह भी था कि इसने कुछ वर्ष पूर्व डबल यात्रा-भत्ता क्लेम कर लिया था, उसी के सिलसिले में इसे अब निपटाया गया है, वरना जनता की जो यह रोज़ाना ऐसी-तैसी कर रहा था, उसकी तो सरकार को कभी कोई चिन्ता हो ही नहीं सकती थी।

महिलाओं को आगे आना होगा

पिछले अंक में विकास नारायण राय का तेजाब-कुल्हाड़ी, लैंगिक-बराबरी की भाषा लेख पढा। उनका इस विषय पर विश्लेषण अत्यन्त गम्भीर एवं सटीक था। उनके लेख के अन्त में एक आशा की किरण भी दिखाई दी है। महिला और पुरुष की प्राकृतिक भिन्नता कब और कैसे सामाजिक असमानता में रूपान्तरित हो गई यह निरन्तर शोध का विषय है। मानव समाज के विकास के प्रारम्भिक चरण मे मातृ प्रधान परिवार और समाज धीरे-धीरे पितृ प्रधान समाज में परिवर्तित हो गया। इस परिर्वन की प्रक्रिया को यदि खंगाला जाय तो आज की गैर बराबरी की गुत्थी सुलझाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। समाज-शास्त्री मानते है कि महिला-पुरुष की गैर बराबरी सामन्ती युग तक आते-आते अपनी जड़ें पूरी तरह जमा चुकी थी। परिवार और विवाह की संस्था से जुड़े रीति-रिवाजों और परम्पराओं ने इसे और भी पुख्ता किया। इस दौर में महिला का कार्य क्षेत्र घर के चूल्हे-चौके और सन्तति तक सीमित कर दिया गया। आर्थिक प्रक्रिया और सम्पत्ति से उन्हें दूर रखा गया। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका कोई स्थान नहीं था गांव में चौपाल (निर्णय लेने का स्थान) पर चढ़ना तक उनके लिए निषेध था। महिलाओं से सम्बन्धित सभी निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते थे। इस युग के प्रचलित साहित्य, शब्दावली और संस्कृति की रचना इस प्रकार की गई कि महिला वर्ग का उसमें हेय स्थान रहे। वर्तमान युग के प्रजातंत्र में भी कमोबेश वही संस्कृति हावी है। कहने को संविधान ने समानता का अधिकार बिना किसी भेद-भाव के प्रदान किया है लेकिन भाषा (लिंग भेदी) का कमाल देखिये-संविधान में राष्ट्रपति, सभापति, राज्यपाल जैसे पद अनायास ही पुरुष मानसिकता की ही देन हैं। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी को लेकर संसद में कितने दिखावी प्रयास हमेशा विवाद पैदा कर ठन्डे बस्ते में पड़े रहे। आज महिलाओं को यह समझ लेना चाहिये कि उनके अधिकार उन्हें पुरुष प्रधान समाज आसानी से कभी नहीं देने वाला है। अधिकारों की लड़ाई स्वयं उन्हें लड़नी पड़ेगी, संगठित होकर, दया भाव की उम्मीद छोड़नी होगी। अधिकार केवल उन्ही को मिलते हैं जो उनके लिये संघर्ष करते हैं। वे भीख के रूप में कभी नहीं मिलते। और यदि मिलें भी तो देने वाला वर्ग उन्हें केवल अपने वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित करके सभी महिलाओं की वाहवाही लूटेगा और उनका वही हश्र होगा जो 65 साल से देश की आम जनता के साथ होता आया है। चलते-चलते यह भी मानना पड़ेगा कि महिला आन्दोलन का नेतृत्व मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी संवेदनशील महिलाओं को ही करना पड़ेगा और उसमें महिलाओं के अधिकारों के प्रति कटिबद्ध-प्रतिबद्ध-संवेदन शील पुरुष वर्ग को साथ लेकर एक जन आन्दोलन करना पड़ेगा। इस आन्दोलन में बहुत सारे अर्न्तविरोध भी पैदा होंगे जिन्हें बारीकी से समझ कर सुलझाना पड़ेगा। यह लड़ाई उन्हें कई मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी। जैसे सामाजिक समानता के लिए लिंग भेदी परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों के विरुद्ध, साहित्य में लिंगभेदी सन्दर्भो के विरुद्ध, शब्दावली और व्याकरण में अवांछित लिंग भेदी प्रकरणों के विरुद्ध तथा शिक्षा और पाठ्यक्रमों में लिंग भेदी वर्णनों के विरुद्ध।

-प्रोफ़ेसर उदयबीर सिंह
फ़रीदाबाद